BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI
IA no 216 of 2025
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 44 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Jot Singh Bisht **...APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS **...RESPONDENTS**

INDEX

S.No.	Particulars	Page no.
1.	Reply by way of Affidavit on behalf of District Magistrate, Rudraprayag to I.A. No.216 of 2025 in compliance of the order dated 27.03.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.	1-5
2.	**Annexure A** Copy of the order dated 27.03.2025	6-7
3.	**Annexure B** Copy of the letter 103/Bhu.Khani.vi./Ru./Dumpin.jaanch/2024-2025 dated 11.07.2024	8-9
4.	**Annexure C** Uttarakhand Mineral (Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage) Rules 2021	10-36
5.	**Annexure D** copy of the notice no 18/Bhu.Kha.Ni/Ru/Dump.Invest/2025-26 dated 11.04.2024	37-39

Dated 03.05.2025 **Filed By**

Adv Anjali Rajput
Panel Counsel for State of Uttarakhand
Advanjali.rajput@gmail.com
9811777368

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

I.A.NO. 216 OF 2025

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 44 OF 2024

IN THE MATTER OF:

JOT SINGH BISHT ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND ...RESPONDENTS & ORS

REPLY BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO-03 DISTRICT MAGISTRATE, RUDRAPRAYAG TO I.A. NO.216 of 2025 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 27.03.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL.

Most respectfully showeth:

1. That the afore mentioned case was listed for 27.03.2025 and the Hon'ble tribunal was pleased to pass the following order:

"4. Reply to I.A. No. 216/2025 filed by Respondent No. 4-Rail Vikas Nigam Ltd. may also be filed by respondents no. 1 and 3 within one month.

5. Reply to I.A No. 216/2025 filed by Respondent No. 4-Rail Vikas Nigam Ltd. may also be filed by other respondents, if so desired, within one month.

6. List on 08.05.2025 for further consideration.

District Magistrate
Rudraprayag

That the copy of the order dated 27.03.2025 is annexed herewith as **Annexure A.**

2. That the present interim application has been filed by respondent no 4 in original application/applicant herein.

3. That the present reply affidavit is being filed in compliance of para 4 of the order dated 27.03.2025 passed by this Hon'ble Tribunal inter alia directing the respondent herein to file reply to the I.A. N 216 /2025.

4. That in response to paragraphs numbered 1 to 4 of the interim application, it is respectfully submitted as follows:

   a. That vide order dated 07.03.2024, Hon'ble Tribunal constituted a joint committee comprising of District Magistrate, Rudraprayag. Uttarakhand Pollution Control Board and Regional Office Ministry of Forest and Climate change, Dehradun.

   b. That, there after District Mines Officer, Department of Geology & Mining, Rudraprayag issued show cause notice vide letter no 103/Bhu.Khani.vi./Ru./Dumpin.jaanch/2024-2025 dated 11.07.2024 to Respondent no-4 for unauthorized dumping of 60,721.71 cubic meters (97,124.34 tons) of minor-mineral/muck/stone in village Chopda Gadera, Jawadi, and that the Respondent no - 04 and Respondent no - 05 were directed to maintain the status quo of the dumping site and further refrain

NOTARY MANOJ KAPRAWAN Advocate/Notary Reg.04 (07)/2023 Rudraprayag Govt. of Uttarakhand 03/05/2025

District Magistrate Rudraprayag

from destroying it. That the copy of Letter no- 103 dated 11.07.2024 is annexed herewith as **Annexure B.**

5. That, in response to paragraphs numbered 06 to 11 of the interim application, it is respectfully submitted as follows:
   a. It is submitted that vide the present application Respondent no. 4 has sought permission for the re-use of the excavated material which has been dumped and seized at Chopra Gadera in Village Jawadi for ongoing construction actives of the project and for de-sealing of the road that approaches the site in question.
   b. That the District Mine officer, Geology & Mining department, Rudraprayag vide notice no 18/Bhu.Kha.Ni.Vi/Ru/ Dumpin.jaanch/2025-26 dated 11.04.2025 imposed penalty on Respondent no. 4 for dumping muck and storing 97124.34 tones of sub-mineral / muck etc in Chopra Gadera, Village Jawadi, Rudraprayag without requisite permissions.
   c. That, as per the provisions of sub-rule (5) (a) of Rule-14 of the Uttarakhand Mineral (Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage) Rules 2021, as amended by the notification dated 18 September, 2024 an amount of Rs.- 2,03,96,111.00 (Rupees two crore three lakh ninety-six thousand one hundred eleven only) was imposed as penalty on the total unauthorized stored sub-mineral/muck of 97124.34 tones (97124.34 X 70 X 3 = Rs. 2,03,96,111.00) That the copy of Uttarakhand Mineral (Prevention of Illegal Mining

NOTARY MANOJ KAPRAWAN Advocate/Notary Reg.04 (07)/2023 Rudraprayag Govt. of Uttarakhand 02/05/2025

District Magistrate Rudraprayag

Transportation and Storage) Rules, 2021 is annexed herewith as **Annexure C.**

d. That in the said notice, instructions were given to deposit the penalty amount to the prescribed account head 0853001070106 and provide a copy of the e-challan within 01 week of receipt of the notice. The records related to depositing the imposed amount of Rs. 2,03,96,111.00 (Rupees two crore three lakh ninety-six thousand one hundred eleven only) in the prescribed account head by Respondent no. 4 or Respondent no. 5 have not been made available to the District Mines Officer, Rudraprayag. That the copy of the notice no 18/Bhu.Kha.Ni.Vi/Ru/ Dumpin.jaanch/2025-26 dated 11.04.2025 and the response by Respondent no. 4 is annexed herewith as **Annexure D.**

NOTARY MANOJ KAPRAWAN Advocate/Notary Reg.04 (07)/2023 Rudraprayag Govt. of Uttarakhand 03/05/2025

6. It is humbly submitted that the answering respondent has no objection if this Hon'ble Tribunal allows the interim application filed by Respondent no. 4 seeking directions to reuse previously sealed minor-mineral/muck/stone in village Jawadi (Chopra Gadera) as per rules and if penalty imposed upon respondent no 4 is deposited. It is also humbly requested that the Respondent No. 4 and 5 to be kindly directed to deposit the challan amount as per rules, 2021 (amended September, 2024).

Attested by 03/05/2025
Manoj Kaprawan
Advocate/Notary
Reg.04 (07)/2023
Rudraprayag (U.K.)

Deponent
District Magistrate
Rudraprayag

VERIFICATION

Verified at on this 03 day of May 2025 that the contents of the above affidavit are true and correct to my knowledge and no part of it is false therein and nothing has been concealed therefrom.

NOTARY
MANOJ KAPRAWAN
Advocate/Notary
Reg.04 (07)/2023
Rudraprayag
Govt. of Uttarakhand
03/05/2025

Deponent
District Magistrate
Rudraprayag

Attested by
Manoj Kaprawan
Advocate/Notary
Reg.04 (07)/2023
Rudraprayag (U.K.)
03/05/2025

 Annexure - A

Item No. 08 Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 44/2024
(I.A. No. 460/2024 & I.A. NO 216/2025)

Jot Singh Bist Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. Respondents

Date of hearing: 27.03.2025

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER**
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: None for the Applicant.

Respondents: Ms. Anjali Rajput, Advocate for respondents no. 1 and 3.
Mr. Mukesh Verma and Ms. Vatsala Tripathi, Advocates for respondent no. 2 (through VC).
Mr. Nalin Kohli, Senior Advocate with Ms. Nimisha Menon and Mr. Ananya Thapiyal, Advocates for respondent no. 4.
Mr. Ninad Laud, Mr. Varun Chugh, Ms. Ishani Shekhar, Ms. Ivo D'Costa, Mr. Kunal Gupta, Mr. Anant Vikram and Mr. Katahiamang Panhej, Advocates for respondent no. 5.

ORDER

1. Vide order dated 13.02.2025, Respondents No. 4 and 5 were directed to file their responses with pen drives containing video clips, if any available, showing status before and after execution of the project and other respondents were also directed to file their responses. However, Respondents No. 4 and 5 as well as other respondents have not filed their responses.

2. On the other hand, Respondent No. 4-Rail Vikas Nigam Ltd. has filed I.A. No. 216/2025 with the following prayers:-

For Hon'ble NGT purpose
District Magistrate
Rudraprayag

"a. Be pleased to pass appropriate directions to permit to reuse of the excavated muck which was sealed by communication dated 11.07.2024 passed by the District Magistrate, Rudraprayag as well as the road leading to the dumping site at Chopra Gadera in the Village Jawadi, thereby allowing the same for re-use for construction related activities and to relocate the excess muck from the said site; and
b. The Hon'ble Tribunal may be pleased to issue any other appropriate order or directions as this Hon'ble Tribunal may deem fit and proper in the facts and circumstances of the instant case."

3. Respondents no. 4 and 5 are directed to file their responses with pen drives and other respondents are directed to file their responses as directed vide order dated 13.02.2025 within one month.

4. Reply to I.A. No. 216/2025 filed by Respondent No. 4-Rail Vikas Nigam Ltd. may also be filed by respondents no. 1 and 3 within one month.

5. Reply to I.A No. 216/2025 filed by Respondent No. 4-Rail Vikas Nigam Ltd. may also be filed by other respondents, if so desired, within one month.

6. List on 08.05.2025 for further consideration.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

March 27th, 2025
Original Application No. 44/2024
(I.A No. 460/2024 & I.A. No. 216/2025)
AB

fee Hon'ble NGT prepare
District Magistrate
Rudraprayag

 Annexure – B

ई-मेल के माध्यम से तहसीलदार रुद्रप्रयाग को तामिली हेतु। Dt 11/7/24

।। कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, रूद्रप्रयाग।।

संख्या– 103 / भू0खनि0वि0 / रू0 / डम्पिं0जांच / 2024–25 दिनांक 11 जुलाई, 2024

//नोटिस//

मुख्य परियोजना प्रबन्धक,
रेल विकास निगम लि0 ऋषिकेश,
द्वारा मेघा इंजीनियरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0,
हाल– रूद्रप्रयाग।

सदस्य सचिव, मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के पत्रांक : यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0–183–759/2024/1628 दिनांक 18.03.2024 के साथ संलग्न मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0–44/2024 Jot singh bist Vs State of Uttarakhand में पारित आदेश दिनांक 07.03.2024 तथा कार्यालय जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग के पत्र संख्या–2616/33–15 (2023–24) दिनांक 22 मार्च, 2024 के अनुपालन में आपके द्वारा तहसील रूद्रप्रयाग के क्षेत्रान्तर्गत चोपड़ा गदेरे में किये गये मक डम्पिंग की स्थलीय जांच गठित समिति द्वारा दिनांक 02.04.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर रेल विकास निगम लि0/मेघा इंजीनियरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि चोपड़ा गदेरे में एकत्रित मक में से उपयोगी मक का उपयोग कम्पनी द्वारा रेलवे टनल निर्माण में किया जा रहा है। चोपड़ा गदेरा में एकत्रित मक की कुल मात्रा के सम्बन्ध में विभागीय सर्वेक्षक के साथ प्रश्नगत स्थल/चोपड़ा गदेरा में एकत्रित मक/उपखनिज की दिनांक 04.04.2024 को पैमाईस करवायी गयी। सर्वेक्षक द्वारा प्रस्तुत आख्यानुसार चोपड़ा गदेरा में कुल लगभग 60702.71 घनमीटर अर्थात 97124.34 टन उपखनिज पत्थर/मक एकत्रित किया गया है।

निरीक्षण के दौरान रेल विकास निगम लि0 व अनुबन्धित ठेकदार मेघा इंजीनियरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 के प्रतिनिधि से प्रश्नगत स्थल/चोपड़ा गदेरे में मक डम्पिंग किये जाने से सम्बन्धित अनुमति/अभिलेख मांगे गये जो आपके द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये।

राज्य में प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज ''अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण'' नियमावली 2021 की अध्याय 3 के नियम 8(6) के अनुसार परियोजना के निर्माण/टनल से निकले मक के चिन्हित भण्डारण स्थलों पर भण्डारण हेतु प्रपत्र एच–1 में आवेदन निर्धारित शुल्क रू0 50,000.00 के चालान सहित महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय देहरादून को प्रस्तुत करना चाहिए था तथा नियमावली में गठित समिति के माध्यम से जांच होनी थी तथा समिति की जांच आख्या के आधार पर उपयोगी/उपखनिज की अनुमति शासन स्तर से प्राप्त की जानी चाहिए थी, जो कि निगम द्वारा नहीं किया गया है।

दिनांक 10.07.2024 को राजस्व विभाग रूद्रप्रयाग तथा भूतत्व एंव खनिकर्म विभाग रूद्रप्रयाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा रेल विकास निगम लि0/मेघा इंजीनियरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संयुक्त रूप से ग्राम जवाड़ी के चोपड़ा गदेरा में डमप किये गये मक/मलवा स्थल का निरीक्षण किया गया, मौका स्थल पर रेल विकास निगम व उनकी कार्यदायी संस्था उपरोक्त से पुनः चोपड़ा गदेरा में मक/मलवा डम्पिंग से संबंधित सक्षम स्तर से निर्गत अनुमति पत्र मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रथम दृष्टिगत मक का डम्पिंग बिना स्थल चिन्हित किये तथा बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये चोपड़ा गदेरा में मक डम्प करना अवैध मानते हुए डम्पिंग स्थल तथा डम्पिंग स्थल को जाने वाले मार्ग को पिलर व तार की सहायता से बंद/अवरूद्ध करते हुये सील लगा दिये गये, जिसकी फोटोग्राफ संलग्न हैं। राजस्व अभिलेखानुसार मक/मलवा डम्पिंग स्थल ग्राम जवाड़ी के खा0ख0 संख्या 41/251 श्रेणी (03) ड0 के खसरा नम्बर 5361 रकवा 0.158 हे0, खसरा नम्बर 5362 रकवा 1.308 हे0, खसरा नम्बर 5364 रकवा 0.717 हे0, खसरा नम्बर 5446 रकवा 0.227 हे0, कुल रकवा 2.410 हे0 मध्ये 1.310 हे0 भूमि है। मौके पर उपस्थित रेल विकास निगम व उनकी कार्यदायी संस्था मैघा इंजीनियंरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि अग्रिम आदेशों तक डम्पिंग स्थल की यथास्थिति बनाये रखे/खुर्द–बुर्द ना करें।

Fee Hon'ble NGT (annexure)

District Magistrate
Rudraprayag

अतः उक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट करें कि आपके द्वारा किन कारणों से मक डम्पिंग हेतु स्थल के चयन किये बिना तथा सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये ग्राम जवाड़ी के खा0ख0 संख्या 41/251 श्रेणी (03) ड0 के खसरा नम्बर 5361 रकवा 0.158 हे0, खसरा नम्बर 5362 रकवा 1.308 हे0, खसरा नम्बर 5364 रकवा 0.717 हे0, खसरा नम्बर 5446 रकवा 0.227 हे0, कुल रकवा 2.410 हे0 मध्ये 1.310 हे0 भूमि में कुल लगभग 60702.71 घनमीटर अर्थात 97124.34 टन उपखनिज मक/मलवा/पत्थर डम्प किया गया है। उक्त नोटिस प्राप्ति के 15 दिन अन्दर आपका प्रत्युत्तर प्राप्त नही होता है अथवा प्राप्त प्रत्युत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है तो ऐसी दशा में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

पत्रांक : 103 /भू0खनि0वि0/रू0/डम्पिं0जांच/2024–25, तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः–
1– जिलाधिकारी महोदय, रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2– निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
3– उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
4– तहसीलदार रूद्रप्रयाग को दो प्रतियों में इस आशय से प्रेषित कि एक प्रति संबंधित पर तामिल कराते हुए तामिली आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।

उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

Received
15/07/24

For Hon'ble NGT (annexure)

District Magistrate
Rudraprayag

Annexure- C

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्या: 1871-/ /VII-1/2021/158ख–04टीसी
देहरादून, दिनांक: 10 नवम्बर, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67, सन् 1957) की धारा 23ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमित करते हुए राज्य में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण को निवारित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :–

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021

अध्याय–एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. (1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–

(क) "अधिनियम" से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67, सन् 1957) (समय–समय पर यथासंशोधित) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से ऐसा अधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस नियमावली के अधीन सरकारी गजट में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऐसे क्षेत्र के लिए और ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए जिसके लिए उसे अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, अभिप्रेत है और वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45, सन् 1860) की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा;

(ग) "वाहक" से किसी रीति, सुविधा या वाहन अभिप्रेत है जिसके द्वारा खनिज का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान को किया जाय, जिसमें यांत्रिक युक्ति, व्यक्ति, पशु या गाड़ी भी सम्मिलित है;

(घ) "अनुसंधान कार्य" से बिना किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के वैज्ञानिक अध्ययन के प्रयोजन के लिए और उद्योग में उपयोग हेतु खनिज के लाभार्थ और उच्चीकरण के लिए उसकी उपयुक्तता के परीक्षण के लिए किये गये कोई कार्य अभिप्रेत है;

(ङ) "नियमावली, 1960" से अधिनियम की धारा 13 के अधीन बनाई गई खनिज रियायत नियमावली, 1960 तथा खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन खनिज से भिन्न) रियायत नियमावली, 2016 अभिप्रेत है;

(च) "नियमावली, 2001" से अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन बनाई गयी "उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2001 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (समय–समय पर यथासंशोधित) अभिप्रेत है;

For Hon'ble NGT (annexure)

District Magistrate
Rudraprayag

(छ) "वैज्ञानिक परीक्षण" से बिना किसी वाणिज्यक उद्देश्य के वैज्ञानिक अध्ययन के प्रयोजन के लिए खनिज के रासायनिक या खनिज विश्लेषण और उसके रासायनिक एवं खनिजीय घटकों एवं गुणों के निर्धारण के लिए किये गये परीक्षण अभिप्रेत है;

(ज) "जिला अधिकारी" से उस जिले के कलेक्टर या उपायुक्त अभिप्रेत है, जिसमें भूमि स्थित है;

(झ) "अभिवहन पास/ई-रवन्ना" से अधिनियम या तद्धीन बनाई गई नियमावली के उपबन्धों के अनुसार निकाले गये किसी खनिज के विधिपूर्ण परिवहन हेतु खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञा-पत्र धारक या खनिज के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक द्वारा जारी किये गये पास अथवा विभागीय वेब पोर्टल से निर्गत ई-रवन्ना अभिप्रेत है;

(ण) "आदतन अपराधी" से ऐसे अवैध खनिज परिवहनकर्ता अभिप्रेत है, जो एक वर्ष में दो या इससे अधिक बार खनिज का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया हो, दोष सिद्ध हुआ हो एवं अर्थदण्ड/अन्य दण्ड से दण्डित हुआ हो;

(त) "बाजार मूल्य" से प्रचलित उपखनिज की रायल्टी का पांच गुना की धनराशि अभिप्रेत है;

(थ) "आयुक्त" से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारधारक अधिकारी अभिप्रेत है;

(द) "महानिदेशक" से महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(ध) निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, खनन/भूविज्ञान से भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड में नियुक्त अधिकारियों अभिप्रेत है;

(न) "महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी" से जनपद स्तर पर तैनात सहायक भूवैज्ञानिक/खान अधिकारी, उप निदेशक/भूवैज्ञानिक/उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी अभिप्रेत है;

(प) "खनन सत्र" से वर्षाकाल के उपरान्त 01 अक्टूबर, से 30 जून तक की अवधि अभिप्रेत है;

(फ) मैदानी क्षेत्रः-मैदानी क्षेत्र से जिला टिहरी गढवाल (नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), जिला हरिद्वार एवं जिला उधमसिहनगर के सम्पूर्ण भाग अभिप्रेत है;

(ब) पर्वतीय क्षेत्रः- पर्वतीय क्षेत्र से जिला उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़, जिला टिहरी गढवाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग छोड़कर), पौड़ी गढवाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग छोड़कर), अल्मोड़ा (सम्पूर्ण भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग छोड़कर), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग छोड़कर) अभिप्रेत है;

(भ) "जिला खान अधिकारी" से भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई का जनपद में खनन प्रशासन हेतु राज्य सरकार/महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा नामित अधिकारी अभिप्रेत है;

For Hon'ble NGT (annexure)
District Magistrate
Rudraprayag

(म) "रिटेल भण्डारण" से खनिजों (रेता, बजरी, आर०बी०एम०, बोल्डर, ग्रिट, डस्ट इत्यादि) का ऐसा भण्डारण अभिप्रेत है, जो कि निजी व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी, स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी (प्लांट परिसर से बाहर हेतु), खनन पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक, रिवर ड्रेजिंग अनुज्ञाधारक, सोपस्टोन ट्रेडर्स, सोपस्टोन पल्वराईजर अनुज्ञाधारक द्वारा विक्रय एवं प्लांटों के प्रयोजन से भण्डारित किया गया है, अभिप्रेत है तथा जिसे इस नियमावली के अन्तर्गत अनुज्ञा प्रदान की गयी है।

(य) "लेखाशीर्षक" से राज्य सरकार के लेखाशीर्षक 0853–अलौह खनन तथा धातुकर्त उद्योग, 102–खनिज रियायती शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क, 01 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क अभिप्रेत है;

(र) "मोबाईल चैक पोस्ट" से महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा खनिजों के परिवहन कर रहे वाहनों के चैकिंग हेतु चलित (Movable) चैक पोस्ट से अभिप्रेत है;

(ल) "राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना" से राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग निर्माण, जल विद्युत परियोजना, रेलवे परियोजना आदि अभिप्रेत है;

(व) "राष्ट्रीय/राज्य महत्व की कार्यदायी संस्था" से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बी०आर०ओ०, रेल विकास निगम लि०, टी०एच०डी०सी० लि०, एन०एच०पी०सी०, एन०टी०पी०सी०, सी०पी०डब्ल्यू०डी०, पी०डब्ल्यू०डी०, यू०जे०वी०एन०एल० आदि अभिप्रेत है;

(2) "शब्द और पद" जो इस नियमावली में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं परन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दिये गये हैं।

प्रतिषेध

3. कोई भी व्यक्ति, खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञा–पत्र धारक, स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट धारक/रेडिमिक्स प्लान्ट या भण्डारण अनुज्ञाधारक द्वारा जारी अभिवहन पास के बिना, किसी खनिज का स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र/खनन अनुज्ञा क्षेत्र, प्लांट के भण्डारण अनुज्ञा स्थल/रिटेल भण्डारण अनुज्ञा स्थल से भिन्न किसी अन्य स्थान पर न तो परिवहन करेगा, न ही उसे ले जायेगा अथवा न ही परिवहन करायेगा और न ही ले जाने का कार्य करायेगा।

अभिवहन पास का प्रदाय और उसके लिए फ़ीस

4. (1) खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञा–पत्र धारक, स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लांट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट धारक/रेडिमिक्स प्लान्ट या भण्डारण अनुज्ञाधारक, राज्य सरकार या महानिदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष किसी खनिज के परिवहन हेतु अभिवहन पास प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित फीस के साथ एवं रीति के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) अभिवहन पास का प्रदाय, सम्बन्धित जिले के जिला खान अधिकारी या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा इस नियमावली या अधिनियम या तद्धीन बनाई गई किसी अन्य नियमावली के अधीन किया जायेगा।

अभिवहन पास का जारी किया जाना

5. (1) अभिवहन पास, खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञाधारक द्वारा राज्य सरकार के विभागीय ई–पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र "क" से मुख्य खनिज के लिए और नियमावली, 2001 के साथ संलग्न ई–पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एम०एम० 11 में उपखनिज के लिए जारी किया जायेगा।

for Hon'ble NGT (archive)

District Magistrate
Rudraprayag

(2) खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक (स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/ मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडिमिक्स प्लान्ट के भण्डारण अनुज्ञाधारक एवं रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारक, भण्डारण स्थल से विधिपूर्ण राज्य के अन्तर्गत खनिजों के परिवहन के लिए ई–पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र प्रपत्र–"जे" में तथा राज्य के बाहर प्रपत्र–"जे" (ओ0एस0) में अभिवहन पास जारी करेगा;

परन्तु राज्य के बाहर से आर०बी०एम० एवं बोल्डर (गौण खनिज, मुख्य खनिज, ग्रिट व डस्ट को छोड़कर) का परिवहन सामान्यतः अनुमन्य नहीं होगा। अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में केवल राजकीय कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा यह परिवहन निर्धारित शर्तों के अधीन सीमित अवधि के लिए अनुमन्य किया जा सकेगा।

(3) मुख्य खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक, भण्डार से विधिपूर्ण परिवहन के लिए ई–पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र–"एन" में अभिवहन पास जारी करेगा।

अध्याय–दो
खनिजों का परिवहन

खनिजों के निरीक्षण हेतु जांच चौकियों की स्थापना

6. (1) खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा मोबाईल चैक पोस्ट की स्थापना की जायेगी।

(2) (क) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा मोबाईल चैक पोस्ट हेतु गठित दल के प्रभारी अधिकारी को मौके पर अवैध रूप से परिवहन किये जाने रहे खनिज तथा वाहन का अधिहरण (Confiscate) करने का अधिकार होगा।

(ख) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा मोबाईल चैक पोस्ट हेतु गठित दल, ऐसे खनिज और वाहन की, जो उसके द्वारा अधिगृहित किये गये हैं, प्राप्ति रसीद उस व्यक्ति को देगा जिसके कब्जे या नियंत्रण से उसे अधिगृहित किया गया है।

(ग) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा मोबाईल चैक पोस्ट हेतु गठित दल का प्रभारी अधिकारी, अवैध खनिजों के परिवहन कर रहे वाहन चालक/स्वामी को निकटतम पुलिस स्टेशन पर खनिज को ले जाने एवं अपनी अभिरक्षा अथवा पुलिस अभिरक्षा में रखने का निर्देश दे सकता है।

खनिजों का परिवहन

7. (1) खनिजों के परिवहन हेतु उपयोग मे लाये जा रहे वाहनों के साथ अभिवहन पास/ई–रवन्ना प्रपत्र का रखा जाना आवश्यक होगा। वाहन चालक/स्वामी, उक्त प्रयोजन के लिए मोबाईल चैक पोस्ट के प्रभारी अधिकारी की मांग पर अभिवहन पास प्रस्तुत करेगा।

(2) खनिज ढोने वाले सभी वाहन चालक/स्वामी, मोबाईल चैक पोस्ट पर रूकेंगे और अभिवहन पास की जांच कराने के उपरान्त ही प्रस्थान करेंगे। मोबाईल चैक पोस्ट का प्रभारी अधिकारी अभिवहन पास/ई–रवन्ना प्रपत्र का विवरण निर्धारित पंजिका में अंकित कर हस्ताक्षर करेगा तथा प्रत्येक माह परीक्षण हेतु निदेशालय को प्रस्तुत करेगा। प्रभारी अधिकारी द्वारा अभिवहन पास से सम्बन्धित कोई सूचना पंजिका में जानबूझकर गलत अंकित करने अथवा सूचना त्रुटिपूर्ण होने व दोष सिद्व होने की दशा में मोबाईल चैक पोस्ट के प्रभारी अधिकारी के खिलाफ सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिसमें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 218 के अन्तर्गत कार्यवाही भी सम्मिलित रहेगी।

(3) राज्य सरकार मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत संचालित वी०टी०एस० (Vehicle Tracking System) प्रणाली को खनन परिवहन में उपयोग होने वाले वाहनों पर लागू कर सकेगी।

for Hon'ble NGT (awareness)

District Magistrate
Rudraprayag

अध्याय–तीन
खनिजों का भण्डारण

खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

8. (1) इस नियमावली के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, खनिजों के रिटेल भण्डारण हेतु आवेदन कोई भी व्यक्ति/संस्था/फर्म/कम्पनी सम्बन्धित जनपद के भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई कार्यालय मे निर्धारित प्रपत्र–"एच" में चार प्रतियों में वांछित अभिलेखों एवं निर्धारित आवेदन शुल्क सहित प्रस्तुत करेगा। आवेदन की एक प्रति पावती के रूप में आवेदक को हस्ताक्षर कर वापस कर दी जायेगी। कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र एवं संलग्नक/अभिलेखों का परीक्षण कर, अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराते हुए गठित समिति से स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही हेतु 01 सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी को संदर्भित किया जायेगा;

परन्तु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट एवं पल्वराईजर प्लान्ट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन, राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति में निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

(क) वाहन, ऑफिस, तौल मशीन एवं प्लांट के क्षेत्र को छोड़कर अवशेष क्षेत्र में खनिज भण्डारण किया जायेगा, जिसकी रिटेल भण्डारण स्थलों में अधिकतम ऊंचाई 03 मीटर से अधिक नहीं होगी, परन्तु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी प्लान्ट के परिसर में एक समय में औसतन 05 मी० ऊंचाई तक उपखनिज का भण्डारण किया जा सकेगा।

(ख) आवेदक, खनिज भण्डारण हेतु उपखनिज की आपूर्ति किये जाने वाले स्रोत को नोटराइज्ड शपथ पत्र के माध्यम से सूचित करेगा।

परन्तु, उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

1565

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन हेतु निम्नानुसार अनुज्ञा शुल्क देय होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा :–

1. उपखनिज के रिटेल भण्डारण हेतु अनुज्ञा शुल्क ₹ 25,000.00 (₹ पच्चीस हजार मात्र) देय होगा, जो वापस नही किया जायेगा।
2. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/पल्वराइजर/हॉट मिक्स/रेडिमिक्स प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण हेतु पृथक से शुल्क देय नहीं होगा।

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

(3) भण्डारण अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु जिला खान अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने के 01 सप्ताह के अन्तर्गत आवेदक द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में स्वयं के व्यय पर विज्ञप्ति, जिसमें आवेदक का नाम, पता व आवेदित स्थल का पूर्ण विवरण उल्लिखित हो, इस आशय से प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि जो निर्धारित दूरी 100 मीटर के अन्तर्गत निवासरत हो तथा खनिज भण्डारण के प्रस्तावित स्थल से प्रभावित हो अथवा उन्हें कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त होती है तो सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म

For Hon'ble NGT (annexure)

District Magistrate
Rudraprayag

इकाई के जनपदीय अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ता एवं आवेदक को सुनने के उपरान्त युक्तियुक्त निर्णय हेतु जिलाधिकारी को अवगत कराया जायेगा। जिलाधिकारी प्रकरण पर 30 दिन के भीतर निर्णय लेंगे अन्यथा की स्थिति में आपत्ति स्वीकार मानी जायेगी अर्थात् भण्डारण आवेदन निरस्त माना जायेगा

प्रकाशित विज्ञप्ति में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत यदि किसी स्थानीय व्यक्ति /संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त नहीं होती है अथवा जिलाधिकारी द्वारा भण्डारण अनुज्ञाधारक के पक्ष में निर्णय लिया जाता है, तो जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञा स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जायेगी।

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

(4) आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तावित भण्डारण स्थल अनुज्ञा स्वीकृति हेतु समिति द्वारा उपयुक्त न पाये जाने पर संबंधित जिलाधिकारी द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुये आवेदनकर्ता को लिखित रूप से सूचित किया जायेगा;

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

(5) आवेदित भण्डारण स्थल की संयुक्त जांच के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:–

1. संबंधित उप जिलाधिकारी – अध्यक्ष।
2. महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी – सदस्य सचिव।

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

(6) राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा परियोजना के निर्माण/टनल से निकले मक (Muck) के चिन्हित भण्डारण स्थलों पर भण्डारण हेतु प्रपत्र "एच–1" में आवेदन, निर्धारित आवेदन शुल्क ₹ 50,000/– (₹ पच्चास हजार) सहित, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त के संबंध में महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा निम्नानुसार गठित तकनीकी समिति से निर्धारित प्रपत्र "एच–2" पर संयुक्त निरीक्षण आख्या प्राप्त की जायेगी :–

i	महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा नामित अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी	संयोजक
ii	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iii	प्रमुख मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iv	प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित वन संरक्षक स्तर का अधिकारी	सदस्य
v	संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी	सदस्य
vi	संबंधित परियोजना के अभियन्ता (सिविल),	सदस्य

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार को स्वीकृत अनुज्ञा स्थलों, अन्य स्वीकृत खुला उत्खनन (Open Excavation) स्थल एवं रिवर ट्रेनिंग स्थल से निकासी किये गये उपखनिज के भण्डारण हेतु उपरोक्तानुसार ही आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा।

District Magistrate
Rudraprayag

खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञा

9. इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुये खनिजों के भण्डारणों की अनुज्ञा निम्नवत स्वीकृत की जायेगी:–

1. राज्य क्षेत्रान्तर्गत रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा गठित समिति की संस्तुति पर जिलाधिकारी के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी।
2. मोबाईल स्टोन क्रेशर एवं मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट के परिसर में खनिजों के भण्डारण हेतु भण्डारण अनुज्ञप्ति प्रपत्र–"आई" में अधिकतम 01 वर्ष अथवा परियोजना कार्य पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, के लिए जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
3. हाट मिक्स प्लांट एवं रेडिमिक्स प्लांट के परिसर में खनिजों के भण्डारण हेतु भण्डारण अनुज्ञप्ति प्रपत्र–"आई" में अधिकतम 02 वर्ष अथवा परियोजना कार्य पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, के लिए जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
4. अनुज्ञा स्वीकृति के पश्चात् की सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने पर स्वीकृत अनुज्ञा को ई–पोर्टल से जोड़ा जाना अनिवार्य होगा।

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

उपयोगी उपखनिज के उपयोग की अनुमति

10. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा संबंधित परियोजना के टनलों के निर्माण कार्य से निकलने वाले मक (Muck) में से उपयोगी उपखनिज (usable material) के उपयोग की अनुमति रायल्टी की दोगुनी धनराशि एवं अन्य देयताओं के भुगतान की शर्त पर महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर परियोजना की अवधि अथवा 05 वर्ष जो भी न्यून हो, तक शासन द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। अवशेष अनुपयोगी मक को स्वीकृत डम्पिंग साईट पर डम्प किया जायेगा। डम्पिंग साईट पर डम्प खनिज मात्रा के परिमाण को कुल उत्खनित मक की मात्रा से घटाते हुए उपयोगी मक/उपखनिज की गणना की जायेगी।

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार को स्वीकृत अनुज्ञा स्थलों, अन्य स्वीकृत खुला उत्खनन Open Excavation) स्थल व रिवर ट्रेनिंग स्थल से निकासी किये गये उपखनिज के भण्डारण हेतु उपरोक्तानुसार ही स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

खनिज भण्डारण की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण

11. (1) रिटेल भण्डारण के नवीनीकरण हेतु आवेदन अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने के दिनांक से कम से कम 02 माह पूर्व, नियम 8 के उपनियम (2) में निर्धारित आवेदन/अनुज्ञा शुल्क एवं अनुज्ञप्ति के विवरण सहित भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का जांच/परीक्षण करने तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराने के उपरान्त जिला खान अधिकारी के द्वारा 01 सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति से इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए 15 दिन के अन्तर्गत जांच करायी जायेगी। गठित समिति की आख्या के आधार पर रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण जिलाधिकारी के द्वारा याचित अवधि अथवा 05 (पांच) वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकृत किया जायेगा।

(2) राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार को स्वीकृत भण्डारण अनुज्ञा का नवीनीकरण महानिदेशक,

District Magistrate
Rudraprayag

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर परियोजना की अवधि अथवा अथवा 05 (पांच) वर्ष की अवधि हेतु, जो भी न्यून हो, तक शासन द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

(3) नवीनीकृत भण्डारण अनुज्ञा के आधार पर ई–पोर्टल पर अद्यतनीकरण (Updation) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा किया जायेगा।

भण्डारण के मानक एवं अन्य शर्तें

12. (1) कोई व्यक्ति अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना किसी स्थान पर किसी खनिज का भण्डारण नहीं करेगा।

(2) रिटेल भण्डारण स्थल का सार्वजनिक स्थल, सरकारी वन, रेल मार्ग, नदी आदि से दूरी निम्न प्रकार होगी–

(i) पर्वतीय क्षेत्र :–

क–धार्मिक स्थल से दूरी–50 मी0
ख–शैक्षणिक संस्थान से दूरी–100 मी0
ग–अस्पताल से दूरी– 100 मी0
घ–रेल मार्ग से दूरी–50 मी0
ड.–नदी (Perennial River) से दूरी–50 मी०
च–बरसाती नदी (Non Perennial River) से दूरी– 25 मी0
छ–सरकारी वन से दूरी–25 मी0

(ii) मैदानी क्षेत्र :–

क–धार्मिक स्थल से दूरी–300 मी0
ख–शैक्षणिक संस्थान से दूरी–300 मी0
ग–अस्पताल से दूरी– 300 मी0
घ–रेल मार्ग से दूरी–50 मी0
ड़– नदी (Perennial River) से दूरी–500 मी०
च–बरसाती नदी (Non Perennial River) से दूरी– 50 मी0
छ–सरकारी वन से दूरी–100 मी0

परन्तु पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों मे स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट व पल्वराईजर प्लांट के परिसर मे खनिजों के भण्डारण हेतु दूरी के मानक वही होंगे, जो इन प्लांटों की स्थापना/संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट व पल्वराईजर प्लांट नीति के अनुसार होंगे;

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

(3) कोई व्यक्ति किसी ऐसी भूमि, जो उसकी नहीं है या उसके/उसकी वैध किरायेदारी में नहीं है, का उपयोग खनिजों के भण्डारण के लिए नहीं करेगा।

(4) राज्य सरकार भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की विभागीय वेबसाईट पर तैयार ई–एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से भुगतान के आधार पर यथा स्थिति ई–फार्म "जे" अथवा ई–फार्म (ओ/एस) तथा आकस्मिक परिस्थिति हेतु मैनुअल "जे" प्रपत्र पुस्तिका की सम्पूर्ति का प्रबन्ध करेगी।

(5) अनुज्ञाधारक द्वारा भण्डारण स्थल के परिसर में इलैक्ट्रोनिक तोल मशीन तथा भण्डारण स्थल, प्रवेश व निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करना अनिवार्य होगा। अनुज्ञाधारक द्वारा स्थापित सी0सी0टी0वी0 की

to Hon'ble NGT (annexure)

District Magistrate
Rudraprayag

रिकार्डिंग को संरक्षित रखा जायेगा तथा सक्षम अधिकारी द्वारा समय–समय पर औचक निरीक्षण के समय रिकॉर्डिंग मांगे जाने पर, प्रस्तुत करेगा। यदि निरीक्षण के दौरान सी०सी०टी०वी० बन्द अथवा खराब पाया जाता है या उपलब्ध करायी गयी रिकॉर्डिंग मे कोई गड़बड़ी पायी जाती है तो अनुज्ञाधारक के ऊपर ₹ 250/– प्रति मिनट की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो कि अनुज्ञाधारक के द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक मे जमा कराया जाना होगा।

(6) अनुज्ञाधारक भण्डारण स्थल की चाहरदीवारी एवं अभिलेख रख–रखाव हेतु कार्यालय, धर्मकांटा, भरान (loading), भार उतारना (unloading) हेतु पर्याप्त स्थान की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेगा।

(7) (i) स्टोन क्रेशर व स्क्रीनिंग प्लांट संचालकों को विक्रय की गयी मात्रा पर ₹ 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारकों द्वारा विक्रय की गयी उपखनिज की मात्रा पर ₹ 0.25 प्रति कुन्तल के समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(ii) हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट संचालकों द्वारा बालू या बजरी या बोल्डर या उसके उत्पाद अर्थात् कच्चा माल/पक्का के प्लान्ट में उपयोग की गई मात्रा पर ₹ 1.00 प्रति कुन्तल के समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में अग्रिम जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(iii) खनिज सोपस्टोन, सिलिकासैण्ड, मैग्नेसाईट, लाईमस्टोन आदि के भण्डारण अनुज्ञाधारकों एवं प्लवराईजर प्लांट भण्डारण अनुज्ञाधारकों पर उक्त खनिज की रायल्टी का 2 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में अग्रिम अतिरिक्त रूप से पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा किया जाना अपरिहार्य होगा।

(iv) प्रदेश के बाहर से आयतित होने वाले खनिज या उसके उत्पाद तथा ईंट या इनके कच्चे माल को राज्य में प्रवेश करने हेतु पंजीकृत अनुज्ञाधारक, खनन उद्यमी द्वारा ई–रवन्ना वैब एप्लीकेशन में उपखनिज का नाम, मात्रा ऑनलाईन दर्ज किया जायेगा तथा अनुज्ञाधारक/खनन उद्यमी द्वारा उपखनिज का अभिवहन पत्र (रवन्ना) एवं जी०एस०टी० नम्बर धारित बिल की मूल प्रति संरक्षित की जायेगी। महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जनपदीय अधिकारी के पास ऑनलाईन/ऑफलाईन पहुंचने पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/भण्डारणकर्ता आदि द्वारा बाहरी राज्यों से लाये गये उपखनिज (क्रय/विक्रय) की मात्रा को अधिकतम 01 सप्ताह की समयावधि के अन्तर्गत जांचोपरान्त उसके ऑनलाईन स्टॉक (Capacity in hand) में जोड़ दिया जायेगा। ऐसे खनिज (आर०बी०एम० एवं बोल्डर छोड़कर) का लेखा एम०आई०एस० पोर्टल पर पृथक से दर्शाया जायेगा। इस प्रकार परिवहन कर लाये गये खनिजों पर ₹ 1.00 प्रति कुन्तल की दर से पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क वेब पोर्टल पर Credit in करने से पूर्व जमा किया जाना अपरिहार्य होगा। उक्त व्यवस्था प्रत्येक माह में न्यूनतम एक बार महानिदेशक अथवा महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे सभी पंजीकृत अनुज्ञाधारक, खनन उद्यमियों के अभिलेखों का परीक्षण (Scrutiny) कर किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर इस नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

for Hon'ble NGT (...)

District Magistrate
Rudraprayag

(8) तकनीकी दल द्वारा राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं से संबंधित टनल/निर्माण स्थल से निकासी किये गये उपखनिज (Muck) की कुल मात्रा में से उपयोगार्थ उपखनिज की आगणित/सत्यापित मापन मात्रा, संबंधित टनल निर्माण के उपरान्त स्वीकृत मात्रा से कम अथवा अधिक पाये जाने पर, कम अथवा अधिक पाये जाने वाली मात्रा पर देय रायल्टी का समायोजन/भुगतान किया जायेगा।

स्वीकृत उपखनिज की मात्रा पर आंगणित रॉयल्टी धनराशि एवं अन्य देयों का भुगतान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा त्रैमासिक किश्तों मे विभागीय लेखा शीर्षक मे अग्रिम जमा किया जायेगा। किश्तों का भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत न किये जाने पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज लिया जायेगा।

(9) राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा स्वीकृत स्थल से उपखनिज की निकासी/उपयोग हेतु विभागीय ई-रवन्ना पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

(10) राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा निर्माण स्थल/टनल से निकले उपखनिज/मक का उपयोग संबंधित परियोजना निर्माण कार्य में ही किया जायेगा। राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा निर्माण स्थल/टनल से निकले उपखनिज/मक का उपयोग अन्यत्र किये जाने की पुष्टि होने पर नियम 14(5)(ख) के अनुसार कार्यवाही करते हुए ₹ 1.00 करोड़ (₹ एक करोड़) की अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने के साथ-साथ अनुज्ञा निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

खनिजों का लेखा-जोखा रखना

13. (1) अनुज्ञाधारक, प्रत्येक समय क्रय किये गये, भण्डारित किये गये या निर्गमित किये गये खनिजों का ठीक एवं बोधगम्य लेखा-जोखा इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र-"के" में रखेगा।

(2) अनुज्ञाधारक द्वारा ₹ 2.00 लाख से अधिक उपखनिज क्रय एवं विक्रय का समस्त भुगतान चैक/बैंक ड्राफ्ट/आर0टी0जी0एस0/ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा तथा तत्संबंधी अभिलेखों को संरक्षित किया जायेगा।

(3) अनुज्ञाधारक द्वारा समस्त वित्तीय लेखे दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली (Double Entry Accounting System) के अनुसार रखा जाना अनिवार्य होगा।

(4) खनिज के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक स्वयं द्वारा भण्डारित और परिवहन किये गये खनिजों के क्रय-विक्रय एवं अवशेष खनिज आदि लेखा की मासिक सूचना आगामी माह की 15 तारीख तक अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी, राज्य कर (वाणिज्य कर) विभाग एवं जिला खान अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता के भीतर भण्डारण परिसर स्थित है, इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र "एल" में प्रस्तुत करेगा।

(5) खनिजों के भण्डारण अनुज्ञाधारक के किसी भी प्रपत्र, ई-प्रपत्र, लेखा-जोखा, ई-लेखा-जोखा, बही रजिस्टर आदि अन्य आवश्यक अभिलेख मांग कर परीक्षण (Scrutiny) करने तथा परीक्षणोपरान्त अनियमितताएं पाये जाने पर स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लवराईजर, रिटेल भण्डारण, सोपस्टो, मैग्नेसाईट आदि अनुज्ञाधारकों, सोपस्टोन ट्रेडर अनुज्ञाधारक को युक्ति-युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुण-दोष के आधार पर 03 माह के भीतर अधिनियम की धारा

For Hon'ble NGT (...)

District Magistrate
Rudraprayag

21 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2), धारा 22, धारा 23(क), धारा 23(ख) तथा धारा 24 के अन्तर्गत महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी एवं जिलाधिकारी आदेश पारित कर सकेंगे।

जाँच एवं शास्ति

14. (1) रिटेल भण्डारण या प्लांटों मे भण्डारित खनिज की जांच के प्रयोजन से या अधिनियम या तद्धीन बनाई गयी नियमावली से सम्बन्धित किसी अन्य प्रयोजन हेतु अधिनियम, की धारा 21 की उपधारा (1), (2), (4A), धारा 22, धारा 23A तथा धारा 23B के अन्तर्गत जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी, जो कि उप जिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो या महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के प्राधिकृत अधिकारी, जो कि खान निरीक्षक से अन्यून न हो :–

(क) किसी ऐसे भण्डारण परिसर में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है;

(ख) भण्डारण में पड़े हुए खनिजो के स्टॉक को तौल सकता है, माप सकता है या उसकी माप ले सकता है परन्तु उक्त पैमाईश के दौरान भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी;

(ग) कब्जे में रखे गये किसी भी दस्तावेज बही, रजिस्टर या अभिलेख का परीक्षण कर सकता है;

(घ) ऐसे दस्तावेज बही, रजिस्टर या अभिलेख से उद्धरण ले सकता है या उसकी प्रतिलिपियां बना सकता है;

(ड.) खण्ड (ग) में यथा निर्दिष्ट दस्तावेज, बही, रजिस्टर या अभिलेख को मंगा सकता है या उसे प्रस्तुत करने की आज्ञा दे सकता है;

(च) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका खनिज के किसी स्टॉक पर नियंत्रण हो या जो उससे सम्बद्ध हो, बुला सकता है या उसका परीक्षण कर सकता है;

(छ) ऐसी सूचना या विवरण मांग सकता है, जो आवश्यक समझी जाय;

(ज) खनिजों के भण्डारण में अनियमितता पाये जाने पर भण्डारण स्थलों को सीज (Seize) करते हुए भण्डारणकर्ता को कारण बताओ नोटिस दे सकता है एवं नोटिस का प्रति उत्तर सन्तोषजनक प्राप्त न होने पर अवैध खनन पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु संस्तुत कर सकता है।

(2) खनिज का अवैध परिवहन किये जाने पर निम्नानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा :–

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	अधिरोपित किये जाने वाले अर्थदण्ड (₹ में)	अधिरोपित की जाने वाली रायल्टी का गुणांक
1.	04 पहिया यूटीलिटी एवं छोटे वाहन	5,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
2.	06 पहिया यूटीलिटी	7,500	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
3.	02 पहिया ट्रैक्टर ट्राली	10,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
4.	04 पहिया ट्रैक्टर ट्राली	15,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा

For Hon'ble NGT (averments)

District Magistrate
Rudraprayag

			का बाजार मूल्य
5.	06 पहिया ट्रक	30,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
6.	06 पहिया से अधिक ट्रक डम्पर हाईवा आदि हेतु	50,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
7.	जे0सी0बी0	2,00,000	बिना अनुमति प्रयोग की दशा में
8.	पौकलैण्ड	4,00,000	बिना अनुमति प्रयोग की दशा में

(3) महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (जो उपजिलाधिकारी के स्तर से कम का न हो) अवैध खनिजों के परिवहन में पकड़े गये वाहनों का मौके पर शमन करने हेतु अधिकृत होंगे।

(क) अवैध परिवहन हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा शमन के उपरान्त वसूली गयी धनराशि को चालान के माध्यम से जमा कराते हुए रवन्ना/चालान प्रपत्र पर ट्रेजरी चालान संख्या, दिनांक, वसूली गयी धनराशि एवं तालिका में इंगित वाहन का प्रकार हस्ताक्षर सहित प्रत्येक पृष्ठ पर अंकित की जायेगी।

(ख) अवैध परिवहन में पकड़े गये वाहन का मौके पर शमन करते हुए वसूली गयी धनराशि को विभागीय सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

(ग) खनिजों के अवैध परिवहन करते पकड़े गये वाहनों के शमन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किये गये चालान एवं जमा की गयी धनराशि का विवरण महानिदेशक एवं सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) (क). एक वर्ष के अन्तर्गत 02 या उससे अधिक बार अवैध खनिज परिवहनकर्ता एवं वाहनस्वामी पर उपनियम (2) में निर्धारित अर्थदण्ड के अनुसार धनराशि अधिरोपित की जायेगी और यदि वाहन तीसरी बार अवैध खनिज परिवहन में पकड़ा जाता है तो आदतन अपराधी मानते हुए पकड़े गये वाहन को जब्त कर राज्य सरकार में समाहित कर राज्य सम्पत्ति घोषित कर दिया जायेगा।

(ख). रिटेल भण्डारणकर्ता/स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर प्लान्ट/हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट भण्डारणकर्ता द्वारा अवैध ई–रवन्ना पर क्रय–विक्रय व परिवहन किये जाने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(5). (क) यदि भण्डारणों में कोई अवैधता पाई जाती है तो महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उपजिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो) द्वारा भण्डारण स्थल को सीज करते हुए अनुज्ञाधारक को उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जायेगा और यदि नियत समय के भीतर अनुज्ञाधारक का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा अनुज्ञाधारक द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण

For Hon'ble NGT (measure)

District Magistrate
Rudraprayag

संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उपजिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो), द्वारा अवैध खनिज की मात्रा (01 टन से 25,000 टन तक, पर रॉयल्टी का दो गुना तथा 25,000 टन से 50,000 टन तक, पर रॉयल्टी का तीन गुना तथा 50,000 टन से 1.00 लाख टन तक, पर रॉयल्टी का चार गुना तथा 01 लाख टन से अधिक, रॉयल्टी का पांच गुना) के समतुल्य धनराशि अधिरोपित की जायेगी। सम्बन्धित भण्डरणकर्ता के द्वारा उक्त धनराशि जमा कराये जाने पर खनिज की उक्त मात्रा की निकासी जिला खान अधिकारी द्वारा दी जाएगी। ऐसे अवैध भण्डारण जो बिना अनुमति के पाये जाते हैं को सीज करते हुए भण्डारित खनिज की मात्रा को खुली नीलामी के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा और ऐसे अधिगृहीत या समपहृत खनिज के परिवहन हेतु निर्धारित परिवहन प्रपत्र जारी किया जायेगा। यदि महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उपजिलाधिकारी के स्तर से कम का न हो) द्वारा अधिरोपित धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा न किये जाने अथवा अधिरोपित धनराशि के विरूद्ध नियम 15 के अन्तर्गत अपील विचाराधीन/निस्तारित न होने पर जिला खान प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञाधारक का ई–पोर्टल बन्द किया जायेगा एवं जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुज्ञप्ति का पर्यवसन कर सकेगा।

इसके अतिरिक्त स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामी/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी/ भण्डारणकर्ता के स्वीकृत भण्डारण स्थलों पर क्षमता से अधिक मात्रा में उपखनिज का भण्डारण पाये जाने पर यदि भण्डारण स्थल पर अधिक भण्डारित किये गये खनिज का वैध रवन्ना होने पर या स्टॉक रजिस्टर/ई–रवन्ना पोर्टल पर तत्समय दर्शित मात्रा से कम मात्रा में उपखनिज पाया गया है या अन्य कोई अनियमितताएं पायी गयी हो, जिससे राजस्व की हानि न हुई हो, ऐसे प्रकरणों में पूर्व में अधिरोपित/ विचाराधीन अर्थदण्ड एवं रॉयल्टी की धनराशि को एक मुश्त ₹ 5.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा किया जायेगा।

(ख) अवैध भण्डारणकर्ता/अवैध खननकर्ता से अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) एवं उपधारा (5) के अनुसार अवैध उत्खनिज खनिज/परिवहन किये जा रहे अवैध खनिज/भण्डारित अवैध खनिज की मात्रा पर उप नियम (5) (क) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ग) भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाईश के अनुसार मिलान करने पर तो 10 प्रतिशत तक के अन्तर को छोड़ते हुए उसके अतिरिक्त प्रतिशत अन्तर पर उपनियम (5) का खण्ड (ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(घ) रिटेल भण्डारणकर्ता द्वारा कय एवं विकय खनिज का मासिक विवरण निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी कार्यालय, राज्य कर (वाणिज्य कर) विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में आगामी माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

For Hon'ble NGT (...)

District Magistrate
Rudraprayag

(ङ) अवैध खनन से संलिप्त वाहनों/अवैध भण्डारणों को जब्त करने तथा दण्ड अधिरोपित करने हेतु अधिनियम, की धारा 21 की उपधारा (1), (2), (4A), धारा 22, धारा 23A तथा 23B के अन्तर्गत जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो कि उप जिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो या महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के प्राधिकृत अधिकारी, जो खान निरीक्षक से अन्यून स्तर का न हो; अधिकृत होंगे, परन्तु जब्त/दण्ड अधिरोपित करते समय महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति/प्रतिभागिता अनिवार्य होगी।

(च) भण्डारण स्थल के चारों तरफ चाहरदीवारी/कवर्ड फेंसिंग का निर्माण किया जाना होगा, जो खनिज भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी० ऊंची होगी। भण्डारण की ऊंचाई का सत्यापन महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊंचाई निर्धारित मानक से अधिक होने पर महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भण्डारणकर्ता पर ₹ दो लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(छ) सरकारी निर्माण कार्यदायी संस्थाओं के अधिकृत ठेकेदारों के द्वारा परियोजनाओं मे प्रयुक्त किये गये उपखनिज ग्रिट आदि हेतु वैद्य ई–रवन्ना प्रपत्र प्रस्तुत न किये जाने पर प्रयुक्त उपखनिज की मात्रा को अवैध मानते हुए उपनियम (5)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। ऐसे प्रकरण में परियोजना के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/प्रोजेक्ट मेनेजर के द्वारा सन्देहास्पद ई–रवन्ना प्रपत्रों की जांच करने हेतु जिला खान अधिकारी को सूचित किया जायेगा, जिसके द्वारा ई–रवन्ना प्रपत्र अवैध पाये जाने पर उपनियम (5)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ज) राज्य क्षेत्रान्तर्गत स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामियों/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामियों/ अवैध खननकर्ताओं/अवैध खनिज परिवहनकर्ताओं/अवैध खनिज भण्डारणकर्ताओं पर अवैध खनन, भण्डारण व परिवहन के प्रकरणों में अधिरोपित ₹ 2.00 लाख अर्थदण्ड एवं खनिज की मात्रा पर तत्समय प्रचलित रायल्टी का 02 गुना की धनराशि अधिरोपित कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण एक मुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Scheme) के अन्तर्गत महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम 58 के अन्तर्गत लगने वाले 24 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज तथा इस संबंध में यदि राजस्व विभाग द्वारा आर०सी० निर्गत की गयी है, तो राजस्व विभाग द्वारा लिये जाने वाले संग्रह शुल्क (Collection Charges) से छूट प्राप्त होगी।

उक्तानुसार एक मुश्त समाधान योजना हेतु आवेदन महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के समक्ष किया जायेगा। महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह कि यह प्रावधान उक्त नियमावली के प्रख्यापित होने की तिथि से दिनांक 30.11.2021 तक ही प्रवृत्त एवं प्रभावी होगा।

(झ) जो वाहन राज्य के बाहर से आर०बी०एम० एवं बोल्डर (गौण खनिज एवं मुख्य खनिज को छोड़कर) का ढुलान करते हुए राज्य की सीमा में पकड़ा जायेगा, ऐसे वाहन में लदे आर०बी०एम०, बोल्डर एवं वाहन को जब्त कर

For Hon'ble NGT (written)

District Magistrate
Rudraprayag

लिया जायेगा तथा जब्त किये गये आर०वी०एम०, बोल्डर को नियमानुसार नीलामी के माध्यम से निस्तारित करते हुए जब्त किये गये वाहन के संबंध में उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(6) रिटेल भण्डारणों व स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों का प्रतिवर्ष (कम से कम एक बार) आधुनिक ड्रोन के माध्यम से सर्वे जिला खान अधिकारी के द्वारा अनुज्ञाधारकों/प्लान्टधारकों के व्यय पर किया जाएगा तथा इसकी रिपोर्ट महानिदेशक को प्रस्तुत की जायेगी। अनियमितता पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(7) खदान के निकासी गेटों पर स्थापित धर्मकांटों पर आर०एफ०आई०डी० सिस्टम स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।

(8) निदेशालय स्तर पर अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम हेतु निगरानी प्रकोष्ठ (Monitoring Cell) की स्थापना की जायेगी।

अपील

15. इस नियमावली के अधीन महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध, ऐसा आदेश क्षुब्ध पक्षकार को संसूचित किये जाने के दिनांक से 60 दिन के भीतर मण्डल आयुक्त के समक्ष प्रपत्र-"एम" में अपील कर सकेगा।

पुनरीक्षण

16. राज्य सरकार किसी भी समय या तो स्वयं या आदेश की संसूचना के दिनांक से 90 दिन के भीतर प्रार्थना पत्र दिये जाने पर महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या मण्डल आयुक्त द्वारा इस नियमावली के अधीन पारित किसी आदेश या की गयी किसी कार्यवाही से सम्बन्धित अभिलेख मांग सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है और ऐसा आदेश पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे।

अपील/पुनरीक्षण हेतु शुल्क

17. नियम 15 के अन्तर्गत प्रत्येक अपील एवं नियम 16 के अन्तर्गत प्रत्येक पुनरीक्षण हेतु शुल्क ₹ 10,000.00 देय होगा, जो ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा, की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत की जायेगी।

स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (Conciliation/Committee of Independent Experts) द्वारा वादों का निस्तारण

18. खनिजों से सम्बन्धित वादों के त्वरित निस्तारण हेतु प्रकरण शासन द्वारा स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (Conciliation Committee of Independent Experts) को सन्दर्भित किये जा सकेंगे।

निरसन एवं व्यावृत्ति

19. (1) राज्य में इस नियमावली के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त, इस नियमावली की तत्स्थानी कोई विधि/नीति (जिन्हें इसके पश्चात् इस नियम में निरसित नियम कहा गया है) को निरसित किया जाता है।

(2) उपनियम (1) द्वारा निरसित नियमों का निरसन कर दिये जाने पर भी –

(क) निरसन और ऐसे प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रवृत्त नियमावली के अधीन निकाली गई कोई अधिसूचना, नियम, विनियम, आदेश या सूचना, अथवा की गयी कोई नियुक्ति या घोषणा, अथवा दी गयी कोई छूट अथवा किया गया कोई अधिहरण या अधिरोपित की गयी कोई शास्ति या जुर्माना, कोई समपहरण, रद्दकरण, अथवा की गयी कोई अन्य बात या कोई अन्य

For Hon'ble NGT (annexure)

District Magistrate
Rudraprayag

कार्रवाई, जहां तक इस नियमावली के उपबन्धों से असंगत नहीं है, इस नियमावली के तत्स्थानी उपबन्ध के अधीन निकाली गई, किया गया या की गयी समझी जायेगी।

(ख) निरसित नियमावली के अधीन जारी किये गये या दिए गए ठीक हालत में होने के प्रमाण पत्र का या अनुज्ञप्ति का ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्, उन्हीं शर्तों के अधीन और उसी अवधि के लिए, बराबर प्रभाव बना रहेगा, मानो कि वह नियमावली पारित ही नहीं हुई है;

परन्तु, इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से पूर्व से स्वीकृत/संचालित खनिज भण्डारण की अनुज्ञा स्वीकृत अवधि तक वैध रहेगी, जिसमें स्वीकृत अनुज्ञा के अनुसार आर०बी०एम० एवं बोल्डर का क्रय/विक्रय किया जा सकेगा।

आज्ञा से,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

for Hon'ble NGT (arcance)

District Magistrate
Rudraprayag

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः 1568/VII-A-1/2024–03(102)2021
देहरादून, दिनांकः 18 सितम्बर, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67, वर्ष 1957) की धारा 23 ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 व उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली 2023 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2024 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 7 में उपनियम (4), (5) एवं (6) का अंतःस्थापन

2. मूल नियमावली के अध्याय–दो के नियम 7 के उपनियम (3) के पश्चात उपनियम (4), (5) एवं (6) को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

(4) खनिजों के परिवहन में प्रयुक्त होने वाले समस्त वाहनों पर जी0पी0एस लगाया जाना अनिवार्य होगा तथा जी0पी0एस0 व धर्मकांटा को भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल के साथ इन्टीग्रेट किया जायेगा।

(5) खनिजों के परिवहन में प्रयुक्त होने वाले भारी वाहनों का परिवहन मार्ग उपजिलाधिकारी/जिला खान अधिकारी के द्वारा वाहन स्वामियों के आपसी समन्वय से निर्धारित किया जायेगा एवं निर्धारित मार्ग में पड़ने वाले चैक पोस्टों पर सम्बन्धित वाहनों के द्वारा ई–रवन्ना प्रपत्रों की जॉच करायी जायेगी, बिना वैध ई–रवन्ना एवं निर्धारित मार्ग से अन्यत्र मार्ग में परिवहन करते पाये जाने वाले वाहन पर लदे उपखनिजों को अवैध मानते हुए ऐसे पकड़े गये वाहनों पर जिला खान अधिकारी के द्वारा नियम–14 के उपनियम–2 के अनुसार कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

(6) खनिजों के परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों के आगे एवं पीछे स्पष्ट वाहन संख्या आदि प्रदर्शित होनी अनिवार्य होगी, बिना वाहन संख्या अथवा अस्पष्ट वाहन संख्या एवं बिना वैध ई–रवन्ना प्रपत्र के खनिजों का परिवहन किये जाने वाले वाहन स्वामी के विरूद्व इस नियमावली के नियम–14 के उपनियम–2 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी तथा वाहन मे लदे उपखनिज को वाहन स्वामी के द्वारा जिस स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/रिटेल भण्डारणकर्ता/अनुज्ञाधारक आदि से लाया गया है, के विरूद्व जिला खान अधिकारी के द्वारा जॉचोपरान्त रू0 05 लाख अर्थदण्ड अधिरोपित कर वसूल किया जायेगा।

नियम 8 का संशोधन

3. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये अध्याय–तीन के नियम 8 के उपनियम (1) (3) (4) एवं (5) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
8.(1) इस नियमावली के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, खनिजों के रिटेल भण्डारण हेतु आवेदन कोई भी व्यक्ति/संस्था/फर्म/ कम्पनी	8.(1) इस नियमावली के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, खनिजों के रिटेल भण्डारण हेतु आवेदन कोई भी व्यक्ति/संस्था/फर्म

for Hon'ble NGT (...)
District Magistrate
Rudraprayag

सम्बन्धित जनपद के भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई कार्यालय मे निर्धारित प्रपत्र–"एच" में चार प्रतियों में वांछित वांछित अभिलेखों एवं निर्धारित आवेदन शुल्क सहित प्रस्तुत करेगा। आवेदन की एक प्रति पावती के रूप में आवेदक को हस्ताक्षर कर वापस कर दी जायेगी। कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र एवं संलग्नक/अभिलेखों का परीक्षण कर, अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराते हुए गठित समिति से स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही हेतु 01 सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी को संदर्भित किया जायेगा;

परन्तु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट एवं पल्वराईजर प्लान्ट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन, राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति में निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) भण्डारण अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु जिला खान अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने के 01 सप्ताह के अन्तर्गत आवेदक द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में स्वयं के व्यय पर विज्ञप्ति, जिसमें आवेदक का नाम, पता व आवेदित स्थल का पूर्ण विवरण उल्लिखित हो, इस आशय से प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि जो निर्धारित दूरी 100 मीटर के अन्तर्गत निवासरत हो तथा खनिज भण्डारण के प्रस्तावित स्थल से प्रभावित हो अथवा उन्हें कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त होती है तो सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ता एवं आवेदक को सुनने के उपरान्त युक्तियुक्त निर्णय हेतु जिलाधिकारी को अवगत कराया जायेगा। जिलाधिकारी प्रकरण पर 30 दिन के भीतर निर्णय लेंगे अन्यथा की स्थिति में आपत्ति स्वीकार मानी जायेगी अर्थात् भण्डारण आवेदन निरस्त

/कम्पनी सम्बन्धित जनपद के भूतत्व एव खनिकर्म कार्यालय मे निर्धारित प्रपत्र–"एच" में चार प्रतियों में वांछित निर्धारित प्रपत्र –"एच" में चार प्रतियों में वांछित अभिलेखों एवं निर्धारित आवेदन शुल्क सहित प्रस्तुत करेगा। आवेदन की एक प्रति पावती के रूप में आवेदक को हस्ताक्षर कर वापस कर दी जायेगी। कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र एवं संलग्नक/अभिलेखों का परीक्षण कर, अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराया जायेगा तथा अभिलेखों को पूर्ण कराये जाने के उपरान्त गठित समिति के द्वारा 01 सप्ताह के अन्तर्गत स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

परन्तु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट एवं पल्वराईजर प्लान्ट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन, राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति में निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) भण्डारण अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु जिला खान अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने के 01 सप्ताह के अन्तर्गत आवेदक द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में स्वयं के व्यय पर विज्ञप्ति, जिसमें आवेदक का नाम, पता व आवेदित स्थल का पूर्ण विवरण उल्लिखित हो, इस आशय से प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि जो निर्धारित दूरी 100 मीटर के अन्तर्गत निवासरत हो तथा खनिज भण्डारण के प्रस्तावित स्थल से प्रभावित हो अथवा उन्हें कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त होती है तो सम्बन्धित तहसीलदार व जिला खान अधिकारी के द्वारा आपत्तिकर्ता एवं आवेदक को एक माह

For Hon'ble NGT

District Magistrate
Rudraprayag

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
माना जायेगा प्रकाशित विज्ञप्ति में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त नहीं होती है अथवा जिलाधिकारी द्वारा भण्डारण अनुज्ञाधारक के पक्ष में निर्णय लिया जाता है, तो जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञा स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जायेगी। परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।	के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा तथा सुनवाई के उपरान्त युक्तियुक्त निर्णय लिया जायेगा। यदि सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी आपत्तिकर्ता उपस्थित नही होता है तो आपत्तिकर्ता की आपत्ति निरस्त समझी जायेगी। परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुवन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।
(4) आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तावित भण्डारण स्थल अनुज्ञा स्वीकृति हेतु समिति द्वारा उपयुक्त न पाये जाने पर संबंधित जिलाधिकारी द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुये आवेदनकर्ता को लिखित रूप से सूचित किया जायेगा; परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।	(4) आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तावित भण्डारण स्थल अनुज्ञा स्वीकृति हेतु समिति द्वारा उपयुक्त न पाये जाने पर संबंधित जिला खान अधिकारी के द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुये आवेदनकर्ता को लिखित रूप से सूचित किया जायेगा; परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।
(5) आवेदित भण्डारण स्थल की संयुक्त जांच के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:– 1. संबंधित उप जिलाधिकारी – अध्यक्ष। 2. महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी – सदस्य सचिव। परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।	(5) आवेदित भण्डारण स्थल की संयुक्त जांच के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:– 1. जिला खान अधिकारी – अध्यक्ष। 2. तहसीलदार – सदस्य। परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

नियम 9 के उपनियम 1 का संशोधन

4. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये अध्याय–तीन के नियम 9 के उपनियम 1 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
9.1. राज्य क्षेत्रान्तर्गत रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा गठित समिति की संस्तुति पर जिलाधिकारी के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी।	9.1. राज्य क्षेत्रान्तर्गत रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा गठित समिति की संस्तुति पर निदेशक के द्वारा 05 वर्ष तक की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी।

नियम 9 में उपनियम 5 एवं 6 का अंतःस्थापन

5. मूल नियमावली के अध्याय–तीन के नियम 9 के उपनियम 4 के पश्चात उपनियम 5 एवं 6 को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

5. शहरी क्षेत्रान्तर्गत संचालित ऐसे फुटकर रिटेल खनिज विक्रेता भण्डारणों को विनियमित करने

for Hon'ble NGT (annexure)

District Magistrate
Rudraprayag

के उद्देश्य से शहरी क्षेत्रों में रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु आवेदन जिला खान अधिकारी के जनपदीय कार्यालय मे किया जायेगा, तत्पश्चात् जॉचोपरान्त् दूरी के मानकों, धर्मकांटा एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्थापित किये जाने मे छूट प्रदान करते हुए रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा जिला खान अधिकारी की संस्तुति आख्या पर सम्बन्धित मण्डल के संयुक्त निदेशक अथवा निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा (अधिकतम 200 घनमीटर तक तैयार माल हेतु) 05 वर्ष तक की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी। इस हेतु अनुज्ञा शुल्क नियम–8 के उपनियम (2)1 के अनुसार देय होगा। उक्त रिटेल भण्डारणकर्ताओं को विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

6. उक्त नियमावली के प्रख्यापन के उपरान्त उपखनिज आर0बी0एम0/बोल्डर्स क भण्डारण की अनुमति मात्र स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/पट्टाधारक/खनन अनुज्ञाधारक एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2023 के नियम–69 के अन्तर्गत चयनित ठेकेदार को होगी। इसके अतिरिक्त रिटेल भण्डारणकर्ताओं को केवल तैयार माल (रेता, बजरी, ग्रिट, डस्ट) के क्रय–विक्रय की अनुमति होगी तथा पूर्व से स्वीकृत रिटेल भण्डारणकर्ताओं को रिटेल भण्डारण स्थल पर उपखनिज आर0बी0एम0/बोल्डर्स के क्रय–विक्रय की अनुमति स्वीकृत अवधि तक ही मान्य होगी।

नियम 11 में संशोधन

6. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये अध्याय–तीन के नियम 11 उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
11.(1) रिटेल भण्डारण के नवीनीकरण हेतु आवेदन अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने के दिनांक से कम से कम 02 माह पूर्व, नियम 8 के उपनियम (2) में निर्धारित आवेदन/अनुज्ञा शुल्क एवं अनुज्ञप्ति के विवरण सहित भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का जांच/परीक्षण करने तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराने के उपरान्त जिला खान अधिकारी के द्वारा 01 सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति से इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए 15 दिन के अन्तर्गत जांच करायी जायेगी। गठित समिति की आख्या के आधार पर रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण जिलाधिकारी के द्वारा याचित अवधि अथवा 05 (पांच) वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकृत किया जायेगा।	11.(1) रिटेल भण्डारण के नवीनीकरण हेतु आवेदन अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने के दिनांक से कम से कम 02 माह पूर्व नियम 8 के उपनियम (2) में निर्धारित आवेदन/अनुज्ञा शुल्क एवं अनुज्ञप्ति के विवरण सहित भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का जांच/परीक्षण करने तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराने के उपरान्त जिला खान अधिकारी के द्वारा 01 सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित तहसीलदार के साथ संयुक्त निरीक्षण कर संयुक्त निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित निदेशक को प्रस्तुत की जायेगी। निदेशक द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण याचित अवधि अथवा 05 (पांच) वर्ष तक की अवधि हेतु किया जायेगा। यदि रिटेल भण्डारणकर्ता के द्वारा पूर्व स्वीकृत भण्डारण अनुज्ञा के क्षेत्रफल मे संशोधन किया जाता है तो उस हेतु रिटेल भण्डारणकर्ता के द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में स्वयं के व्यय पर विज्ञप्ति, जिसमें

for Magistrate UGT (awareness)

District Magistrate
Rudraprayag

आवेदक का नाम, पता व आवेदित स्थल का पूर्ण विवरण उल्लिखित हो, इस आशय से प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि जो निर्धारित दूरी 100 मीटर के अन्तर्गत निवासरत हो तथा खनिज भण्डारण के नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित स्थल से प्रभावित हो अथवा उन्हें कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त होती है तो सम्बन्धित तहसीलदार व जिला खान अधिकारी के द्वारा आपत्तिकर्ता एवं आवेदक को एक माह के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा तथा सुनवाई के उपरान्त युक्तियुक्त निर्णय लिया जायेगा। यदि सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी आपत्तिकर्ता उपस्थित नही होता है तो आपत्तिकर्ता की आपत्ति निरस्त समझी जायेगी।

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

नियम 12 के उपनियम (5) में संशोधन

7. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये अध्याय–तीन के नियम 12 के उपनियम (5) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
12.(5) अनुज्ञाधारक द्वारा भण्डारण स्थल के परिसर में इलैक्ट्रोनिक तोल मशीन तथा भण्डारण स्थल, प्रवेश व निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करना अनिवार्य होगा। अनुज्ञाधारक द्वारा स्थापित सी0सी0टी0वी0 की रिर्काडिंग को संरक्षित रखा जायेगा तथा सक्षम अधिकारी द्वारा समय–समय पर औचक निरीक्षण के समय रिकॉडिंग मांगे जाने पर, प्रस्तुत करेगा। यदि निरीक्षण के दौरान सी0सी0टी0वी0 बन्द अथवा खराब पाया जाता है या उपलब्ध करायी गयी रिकॉर्डिंग मे कोई गड़बड़ी पायी जाती है तो अनुज्ञाधारक के ऊपर रू0 250/– प्रति मिनट की दर से अर्थदण्ड	12.(5) अनुज्ञाधारक द्वारा भण्डारण स्थल के परिसर में इलैक्ट्रोनिक तोल मशीन तथा भण्डारण स्थल, प्रवेश व निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करना अनिवार्य होगा। अनुज्ञाधारक द्वारा स्थापित सी0सी0टी0वी0 की रिर्काडिंग को न्यूनतम 30 दिन तक संरक्षित रखा जायेगा तथा सक्षम अधिकारी द्वारा रिकॉडिंग मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा। यदि निरीक्षण के दौरान सी0सी0टी0वी0 बन्द अथवा खराब पाया जाता है या उपलब्ध करायी गयी रिकॉर्डिंग मे कोई गड़बड़ी पायी जाती है या मॉगे जाने पर रिकॉर्डिंग प्रस्तुत नही की

for Hon'ble NGT (...)

District Magistrate
Rudraprayag

अधिरोपित किया जायेगा, जो कि अनुज्ञाधारक के द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक मे जमा कराया जाना होगा।

जाती है तो अनुज्ञाधारक के ऊपर रू0 दो लाख अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

नियम 12 के उपनियम (2)(iii), (11) एवं (12) का अंतःस्थापन

8. मूल नियमावली के अध्याय–तीन के नियम 12 के उपनियम (2) (ii) के पश्चात (2)(iii) एवं उपनियम (10) के पश्चात (11) एवं (12) को निम्नवत अंतः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

(2) (iii) स्वस्थाने किस्म की चट्टानों पर आधारित खनिजों यथा सोपस्टोन, मैग्नेसाईट आदि के भण्डारण हेतु निम्नलिखित मानक होंगे :–

क–धार्मिक स्थल से दूरी–50 मी0
ख–शैक्षणिक संस्थान से दूरी–50 मी0
ग–अस्पताल से दूरी–50 मी0
घ–रेल मार्ग से दूरी–10 मी0
ड– नदी (Perennial River) से दूरी–50 मी0
च–सरकारी वन से दूरी–10 मी0

(11) कोई भी रिटेल भण्डारणकर्ता भण्डारण स्थल से अन्य रिटेल भण्डारणकर्ता को खनिज का क्रय–विक्रय नही करेगा।

(12) निदेशालय/जनपद स्तर पर समय–समय पर ई–रवन्ना पोर्टल की जॉच किये जाने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/मोबाइल स्टोन क्रेशर/मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडीमिक्स प्लांट/रिटेल भण्डारणकर्ता आदि के द्वारा ई–रवन्ना प्रपत्रों का दुरूपयोग किये जाने अथवा ई–रवन्ना प्रपत्र मे दूरी, गन्तव्य स्थान, वाहन संख्या आदि को गलत अंकित किये जाने एवं अन्य कोई अनियमितता की पुष्टि होने पर ई–रवन्ना पोर्टल को अस्थायी रूप से निलम्बित करते हुए नियमावली के नियम–14 (5) (क) के अनुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

नियम 14 के उपनियम (2), (4)(क), (5)(क) एवं (5)(ग) में संशोधन

9. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये अध्याय–तीन के नियम 14 के उपनियम (2), (4)(क), (5)(क), (5)(ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ–1
विद्यमान नियम

14.(2) खनिज का अवैध परिवहन किये जाने पर निम्नानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा :–

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	अधिरोपित किये जाने वाले अर्थदण्ड (रू0 में)	अधिरोपित की जाने वाली रायल्टी का गुणांक
1.	04 पहिया यूटीलिटी एवं छोटे वाहन	5,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य

स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

14.(2) खनिज का अवैध परिवहन किये जाने पर निम्नानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा :–

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	अधिरोपित किये जाने वाले अर्थदण्ड (रू0 लाख में)	अधिरोपित की जाने वाली रायल्टी का गुणांक
1.	बुग्गी	0.02	वाहन मे लदे अवैध
2.	पिकअप	0.10	

For Hon'ble NGT (...)

District Magistrate
Rudraprayag

2.	06 पहिया यूटीलिटी	7,500	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
3.	02 पहिया ट्रैक्टर ट्राली	10,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
4.	04 पहिया ट्रैक्टर ट्राली	15,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
5.	06 पहिया ट्रक	30,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
6.	06 पहिया से अधिक ट्रक डम्पर हाईवा आदि हेतु	50,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
7.	जे0सी0बी0	2,00,000	बिना अनुमति प्रयोग की दशा में
8.	पौकलैण्ड	4,00,000	बिना अनुमति प्रयोग की दशा में

(4)(क) एक वर्ष के अन्तर्गत 02 या उससे अधिक बार अवैध खनिज परिवहनकर्ता एवं वाहनस्वामी पर उपनियम (2) में निर्धारित अर्थदण्ड के अनुसार धनराशि अधिरोपित की जायेगी और यदि वाहन तीसरी बार अवैध खनिज परिवहन में पकड़ा जाता है तो आदतन अपराधी मानते हुए पकड़े गये वाहन को जब्त कर राज्य सरकार में समाहित कर राज्य सम्पत्ति घोषित कर दिया जायेगा।

3.	ट्रैक्टर/ट्रॉली या ट्रैक्टर (बैक कराह/लोडर व अन्य कोई स्वरूप परिवर्तित किये जाने पर)	0.20	खनिज की मात्रा पर रॉयल्टी का पाँच गुना
4.	06 टायरा ट्रक/डम्पर/टिपर	0.30	
5.	10 टायरा ट्रक/डम्पर/टिपर/हाईवा	1.00	
6.	10 टायरा से अधिक टायरों युक्त ट्रक/डम्पर आदि	2.00	
7.	जे0सी0बी0	2.00	बिना अनुमति के प्रयोग की दशा मे।
8.	पौकलेण्ड	5.00	

(4)(क) यदि किसी स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/पल्वराइजर प्लांट अनुज्ञाधारक द्वारा किसी खनन सत्र (वर्ष 01 अक्टूबर से 30 जून तक) की अवधि में 02 बार से अधिक कोई अवैध अनियमितता पाई जाती है तो जिला खान अधिकारी एवं महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।

मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडिमिक्स प्लांट/रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारक द्वारा किसी खनन सत्र (वर्ष 01 अक्टूबर से 30 जून तक) की अवधि में 02 बार से अधिक कोई अवैध अनियमितता पाई जाती है तो जिला

For Hon'ble NGT (areas)

District Magistrate
Rudraprayag

(5)(क) यदि भण्डारणों में कोई अवैधता पाई जाती है तो महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (नायब तहसीलदार के स्तर से अन्यून न हो) द्वारा भण्डारण स्थल को सीज करते हुए अनुज्ञाधारक को उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जायेगा और यदि नियत समय के भीतर अनुज्ञाधारक का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा अनुज्ञाधारक द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (नायब तहसीलदार के स्तर से अन्यून न हो), द्वारा अवैध खनिज की मात्रा पर प्रथम बार मे रॉयल्टी का दो गुना तथा इसके पश्चात् रॉयल्टी का तीन गुना तक के समतुल्य धनराशि अधिरोपित की जायेगी। सम्बन्धित भण्डरणकर्ता के द्वारा उक्त धनराशि जमा कराये जाने पर खनिज की उक्त मात्रा की निकासी दिये जाने के सम्बन्ध में ई–रवन्ना पोर्टल में संशोधन किये जाने हेतु जिला खान अधिकारी द्वारा निदेशालय को पत्र प्रेषित किया जायेगा। ऐसे अवैध भण्डारण जो बिना अनुमति के पाये जाते हैं को सीज करते हुए भण्डारित खनिज की मात्रा को खुली नीलामी के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा और ऐसे अधिगृहीत या समपहृत खनिज के परिवहन हेतु निर्धारित परिवहन प्रपत्र जारी किया जायेगा। यदि महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (नायब तहसीलदार के स्तर से अन्यून न हो) द्वारा अधिरोपित धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा न किये जाने अथवा अधिरोपित धनराशि के विरूद्ध नियम 15 के अन्तर्गत अपील विचाराधीन/निरस्तारित न होने पर जिला खान प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञाधारक का ई–पोर्टल बन्द किया जायेगा एवं जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुज्ञप्ति का पर्यवसन कर सकेगा।

इसके अतिरिक्त स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामी/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी/ भण्डारणकर्ता के स्वीकृत भण्डारण स्थलों पर क्षमता से अधिक मात्रा में उपखनिज का भण्डारण पाये जाने पर यदि भण्डारण स्थल पर अधिक भण्डारित किये गये खनिज का वैध रवन्ना होने पर या स्टॉक खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक /निदेशक द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।

एक खनन सत्र (वर्ष 01 अक्टूबर से 30 जून तक) के अन्तर्गत 02 बार तक खनिज का अवैध परिवहन करने पर वाहनस्वामी पर नियमावली के नियम–14 के उपनियम (2) के अनुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा और यदि वाहन तीसरी बार अवैध खनिज परिवहन में पकड़ा जाता है तो आदतन अपराधी मानते हुए पकड़े गये वाहन को जब्त कर राज्य सरकार में समाहित कर राज्य की सम्पत्ति घोषित कर दिया जायेगा, जिसकी नीलामी कर प्राप्त धनराशि को विभागीय लेखा शीर्षक मे जमा किया जायेगा।

(5)(क) यदि भण्डारणों में कोई अवैधता/अनियमितता पाई जाती है तो महानिदेशक/निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उप जिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो) द्वारा भण्डारण स्थल को सीज/ई–रवन्ना पोर्टल को बन्द करते हुए अनुज्ञाधारक को उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जायेगा और यदि नियत समय के भीतर अनुज्ञाधारक का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा अनुज्ञाधारक द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण/साक्ष्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो महानिदेशक/निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उप जिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो), द्वारा अवैध खनिज की मात्रा पर प्रथम बार मे रॉयल्टी का तीन गुना तथा इसके पश्चात् रॉयल्टी का चार गुना के समतुल्य धनराशि अधिरोपित की जायेगी। (किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म/कम्पनी आदि के नाम एक से अधिक अनुज्ञा स्वीकृत होने पर यदि एक अनुज्ञा स्थल पर अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है अथवा उक्त नियमावली के प्रख्यापन से पूर्व आरोपित किया गया है तो

fee Hon'ble NGT (arrears)

District Magistrate
Rudraprayag

रजिस्टर/ई-रवन्ना पोर्टल पर तत्समय दर्शित मात्रा से कम मात्रा में उपखनिज पाया गया है या अन्य कोई अनियमितताएं पायी गयी हों, जिससे राजस्व की हानि न हुई हो, ऐसे प्रकरणों में उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) का नियमावली 2021 के प्रख्यापन से पूर्व अधिरोपित /विचाराधीन अर्थदण्ड एवं रॉयल्टी की धनराशि को एक मुश्त रू0 5.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा किया जायेगा।

(5)(ग) भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाईश के अनुसार मिलान करने पर तो 10 प्रतिशत तक के अन्तर को छोड़ते हुए उसके अतिरिक्त प्रतिशत अन्तर पर उपनियम (5) का खण्ड (ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

दूसरे अनुज्ञा स्थल पर अर्थदण्ड रॉयल्टी के चार गुना के समतुल्य धनराशि आरोपित की जायेगी)।

सम्बन्धित भण्डरणकर्ता के द्वारा उक्त अधिरोपित धनराशि जमा कराये जाने पर खनिज की उक्त मात्रा की निकासी जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक के द्वारा दी जाएगी।

यदि भण्डारण की जांच/पैमाईश के उपरान्त भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाईश के अनुसार मिलान करने पर कम पायी जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध उक्तानुसार धनराशि आरोपित करते हुये कम पायी गयी उपखनिज की मात्रा को सम्बन्धित के Capacity in Hand में अंकित उपखनिज की मात्रा से कम कर दी जायेगी।

यदि महानिदेशक/निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उप जिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो) द्वारा अधिरोपित धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा न किये जाने अथवा अधिरोपित धनराशि के विरूद्ध नियमावली के नियम 15 के अधीन 60 दिन के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की जायेगी, यदि अपील प्रस्तुत नही की जाती है या प्रस्तुत अपील पर कोई स्थगन आदेश पारित नही होता है तो जिला खान अधिकारी द्वारा सम्बन्धित अनुज्ञाधारक का ई-पोर्टल बन्द कर दिया जायेगा।

ऐसे अवैध भण्डारण, जो बिना अनुमति के पाये जाते हैं, को सीज करते हुए भण्डारित खनिज की मात्रा (100 घनमीटर तक) को मौके पर ही खुली नीलामी (जिसका आधार मूल्य तत्समय प्रचलित रॉयल्टी का दोगुना होगा) के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा और ऐसे अधिगृहीत या समपहृत खनिज के परिवहन हेतु जिला खान अधिकारी के द्वारा निर्धारित परिवहन प्रपत्र जारी किया जायेगा तथा 100 घनमीटर से अधिक उपखनिज की नीलामी (जिसका आधार मूल्य तत्समय प्रचलित रॉयल्टी का दो गुना होगा) हेतु सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के द्वारा

for Hon'ble NGT (ann...)

District Magistrate
Rudraprayag

स्थानीय समाचार पत्र मे विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए खुली नीलामी के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा, जिसमें प्रतिभाग किये जाने हेतु आवदन शुल्क रू0 10,000/- देय होगा, जो कि निर्धारित विभागीय लेखा शीर्षक मे जमा किया जायेगा और ऐसे अधिगृहीत या समपहृत खनिज के परिवहन हेतु निर्धारित परिवहन प्रपत्र जारी किया जायेगा।

(5)(ग) भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाईश के अनुसार मिलान करने पर 5 प्रतिशत के अन्तर को छोडते हुए उसके अतिरिक्त प्रतिशत अन्तर पर नियमावली के नियम 14 के उपनियम (5) का खण्ड (क) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

नियम 14 के उपनियम (4)(ग), (5)(ञ), (9), (10), (11) एवं (12) का अंतःस्थापन

10. मूल नियमावली के अध्याय-तीन के नियम 14 के उपनियम (4)(ख) के पश्चात (4)(ग) व (5)(झ) के पश्चात (5)(ञ) एवं (8) के पश्चात उपनियम (9), (10), (11) एवं (12) को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:-

(4)(ग). खनिजों के अवैध उत्खनन, भण्डारण, परिवहन तथा अभिवहन प्रपत्र मे उल्लिखित मात्रा से अधिक मात्रा मे उपखनिज का परिवहन पाये जाने पर पुलिस के द्वारा इसकी सूचना खनन विभाग/राजस्व विभाग को दी जायेगी तदोपरान्त् उनके द्वारा नियम-14 के उपनियम-5 (क) व नियम-14 के उपनियम-(2) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(5)(ञ). उत्तराखण्ड उप-खनिज परिहार नियमावली 2023 के नियम-69 के अन्तर्गत जिन जनपदों मे ठेकेदार का चयन किया गया है, उन जनपदों मे स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर्स/स्क्रीनिंग प्लांट्स /रिटेल भण्डारण आदि मे अवैध भण्डारित उपखनिज पर आरोपित/अधिरोपित धनराशि जमा किये जाने के उपरान्त अवैध भण्डारित उपखनिज की मात्रा की निकासी/रॉयल्टी प्रदान किये जाने पर उक्त धनराशि को चयनित ठेकेदार के पक्ष मे उच्च बोली की धनराशि के सापेक्ष समायोजित किया जायेगा, परन्तु ऐसे प्रकरणों (अवैध खनन/अवैध परिवहन) मे जहाँ उपखनिज की निकासी/रॉयल्टी प्रदान नही की जानी है, में अधिरोपित धनराशि को चयनित ठेकेदारों के पक्ष में समायोजित नहीं किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत भण्डारण/अनुज्ञा स्थलों आदि के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर अवैध रूप से भण्डारित उपखनिज को चयनित ठेकेदार के द्वारा तत्समय प्रचलित रॉयल्टी के दो गुने की दर से धनराशि जमा किये जाने पर उक्त उपखनिज को अवमुक्त किया जायेगा तथा उक्त धनराशि को चयनित ठेकेदार के पक्ष मे समायोजित किया जायेगा।

यदि चयनित ठेकेदार के द्वारा उक्त अवैध रूप से भण्डारित उपखनिज को स्वयं अधिगृहीत या समपहृत नही किया जाता है तो उक्त अवैध रूप से भण्डारित उपखनिज को नियमावली के नियम-14.(5)(क) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(9) अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण की प्रभावी रोकथाम हेतु निदेशालय स्तर पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की अध्यक्षता मे प्रवर्तन दल (Enforcement Cell) का गठन किया जायेगा, जिसके द्वारा अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण की शिकायत प्राप्त होने पर या समय-समय पर आकस्मिक छापेमारी सुनिश्चित की जायेगी।

for Hoji S4 N41 (overover)

District Magistrate
Rudraprayag

(10) यदि ऐसी भूमि, जो कि भूस्वामी के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार की अनुज्ञा हेतु वैध किरायेदारी पर दी गयी है, मे अनुज्ञा समाप्ति के उपरान्त किसी भी प्रकार का अवैध खनन/भण्डारण पाये जाने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित भूस्वामी की होगी।

(11) राज्य क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/रेडिमिक्स प्लांट/रिटेल भण्डारण आदि अनुज्ञाधारकों के द्वारा क्रय उपखनिज सामग्री से सम्बन्धित लम्बित ई–रवन्ना प्रपत्रों की वैद्यता समाप्त होने के दिनांक व समय से 72 घंटे के भीतर Receive न किये जाने पर Unreceive ई–रवन्ना प्रपत्र स्वतः ही विलोपित हो जायेंगे। विलोपित ई–रवन्ना प्रपत्र में अंकित उपखनिज की मात्रा को अनुज्ञाधारकों के Capacity in Hand (CIH) में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(12) खनिजों के परिवहन की व्यवस्था को प्रभावी रूप से विनियमित किये जाने हेतु ई–रवन्ना पोर्टल मे समय–समय पर आवश्यकतानुसार अपडेटेशन की कार्यवाही एवं ई–रवन्ना प्रपत्रों के दुरूपयोग को रोके जाने के उद्देश्य से ई–रवन्ना प्रपत्रों को डिजिटल किये जाने तथा हाई सिक्यॉरिटी पेपर पर निर्गत किये जाने की कार्यवाही निदेशक के द्वारा की जायेगी।

(13) अन्तराज्यीय अभिवहन विनियमन शुल्क–उत्तराखण्ड उप–खनिज परिहार नियमावली 2023 के नियम–69 के अन्तर्गत जिन जनपदों मे ठेकेदार का चयन किया गया है, उन जनपदों मे अन्तराज्यीय अभिवहन विनियमन शुल्क के रूप मे जमा की जाने वाली धनराशि को चयनित ठेकेदार के द्वारा जमा की जाने वाली उच्चतम बोली की धनराशि मे समायोजित किया जायेगा।

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव

For Hon'ble NGT (annexure)

District Magistrate
Rudraprayag

Annexure - D

।। कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, रूद्रप्रयाग।।

संख्या– 18 / भू0खनि0वि0 / रू0 / डम्पिं0जांच / 2025–26 दिनांक 11 अप्रैल, 2025

/ / नोटिस / /

मुख्य परियोजना प्रबन्धक,
रेल विकास निगम लि0 ऋषिकेश,
द्वारा मेघा इंजीनियरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0,
हाल– रूद्रप्रयाग।

1)– इस कार्यालय के पूर्व पत्र संख्या–103 / भू0खनि0वि0 / रू0 / डम्पिं0जांच / 2024–25 दिनांक 11 जुलाई, 2024 द्वारा निर्गत नोटिस का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद व तहसील रूद्रप्रयाग के ग्राम जवाड़ी के (चोपड़ा गदेरे में) क्षेत्रान्तर्गत निम्न खाता / खतौनी में बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये उपखनिज / मक डम्प किया गया था। संबंधित क्षेत्र का विवरण निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	तहसील	गांव	खाता खतौनी संख्या	खसरा संख्या	रकवा (हे0 में)	मध्ये कुल रकवा (हे0 में)	डम्प किये गये कुल उपखनिज / मक की मात्रा (टन में)
01	रूद्रप्रयाग	जवाड़ी (चोपड़ा गदेरे)	41 / 251 श्रेणी (03) ड.	5361, 5362, 5364, 5446	0.158 1.308 0.717 0.227	1.310 हे0	97124.34

संबंधित नोटिस आपको बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये 97124.34 टन उपखनिज / मक आदि का भण्डारण किये जाने पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के नियम–14(5)(क) के अंतर्गत सीज करते हुए डम्पिंग स्थल की यथास्थिति बनाये रखने / खुर्द–बुर्द ना करने के निर्देश दिये गये थे।

2)– उपरोक्त वर्णित नोटिस के क्रम में आपके द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या–RVNL/RKSH/ Mining/ Cors/2/2021/CIVIL/RKSH/217 Dated 25.07.2024 के माध्यम से प्रत्युत्तर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। प्रस्तुत प्रत्युत्तर में उल्लिखित संलग्नक–3 जो उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन पत्र **"प्रपत्र एच–1"** जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड–देहरादून को सम्बोधित है, के बिन्दु संख्या–11 में **"डम्पिंग साईट का विवरण डी0–27 (नरकोटा) 352000 घन मी0"** हेतु आवेदन किया गया है। जबकि इस कार्यालय के नोटिस दिनांक 11 जुलाई, 2024 में ग्राम जवाडी के चोपड़ा गदेरे में कुल लगभग 60702.71 घनमीटर अर्थात 97124.34 टन उपखनिज मक / मलवा / पत्थर के संबंध में प्रत्युत्तर चाहा गया था, जो आपके द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। पुनः अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्रांक–116 / भू0खनि0वि0 / रू0 / नो0प्र0 / 2024–25 दिनांक 27 जुलाई, 2024 के द्वारा ग्राम जवाड़ी क्षेत्रान्तर्गत स्थान चोपड़ा गदेरे में डम्प किये गये मक में से आतिथि तक मोबाईल स्टोन क्रेशर में प्रयुक्त किये गये उपयोगी उपखनिज का विवरण साक्ष्य सहित इस कार्यालय को 01 सप्ताह अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये, परन्तु संबंधी सूचना / विवरण आतिथि तक इस कार्यालय को अप्राप्त है।

3)– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–44 / 2024 जोत सिंह बिष्ट बनाम् उत्तराखण्ड राज्य व अन्य से संबंधित मामला जो उपरोक्त वर्णित प्रकरण से संबंधित है, जिसमें आपके द्वारा अन्तरिम आवेदन दर्ज किया गया है, जिसमें निर्माण संबंधित गतिविधियों हेतु सीज

For Hon'ble NGT (annexure)

District Magistrate
Rudraprayag

किये गये उत्खनित मक को पुनः उपयोग किये जाने तथा पहुंच मार्ग को खोले जाने की अनुमति प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

उपरोक्त के दृष्टिगत चूंकि जिस स्थान पर आपके द्वारा उपखनिज/मक का भण्डारण किया गया है उसकी अनुमति संबंधित अभिलेख इस कार्यालय को प्राप्त नही कराये गये है। साथ ही उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के अध्याय–3 के नियम–8(6) के अंतर्गत Re use of Muck हेतु आवेदन प्रस्तुत नही किया गया, और ना ही आपके द्वारा उक्त अध्याय के नियम–10 के अंतर्गत सक्षम स्तर यथा शासन स्तर से अनुमति प्राप्त की गयी है, जो उपरोक्त नियमों का उल्लघंन है, जिस पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 यथासंशोधित अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर, 2024 के नियम–14 के उपनियम–(5)(क) के अनुसार प्रथम बार में रायल्टी का तीन गुणा की धनराशि अधिरोपित किये जाने का प्राविधान है।

अतः उपरोक्त नियमावली के नियम–14 के उपनियम–(5)(क) के प्राविधानानुसार बिना अनुमति के भण्डारित किये गये कुल उपखनिज/मक 97124.34 टन (97124.34 X 70 X 3 = 2,03,96.111.00) पर रू0–2,03,96,111.00 (रूपये दो करोड़ तीन लाख छियानवे हजार एक सौ ग्यारह मात्र) अधिरोपित होती है, जिसे निर्धारित लेखाशीर्षक 0853001070106 में जमा कराते हुए ई–चालान की प्रति इस कार्यालय को नोटिस प्राप्ति के 01 सप्ताह अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिसके आधार पर मा0 प्राधिकरण में आपके द्वारा की गयी याचना के क्रम में पूर्व में सील किये गये उपखनिज/मक को पुनः उपयोग किये जाने की अनुमति नियमानुसार प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जा सके।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

पत्रांकः 18 /भू0खनि0वि0/रू0/डम्पिं0जांच/2025–26 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
3. उप–जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
4. तहसीलदार, रूद्रप्रयाग को दो प्रतियों में इस आशय से प्रेषित कि एक प्रति संबंधित पर तामिल कराते हुए तामिली आख्या अधोहस्ताक्षरी को 02 दिवस भीतर उपलब्ध करायें।

उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

उपरोक्त नोटिस पत्र RVNL की ई-मेल ID rvnlrksh1@gmail पर प्रेषित। दिनांक 12/4/2025

RAIL VIKAS NIGAM LIMITED
RECEIPT NO. 344
DATE 12/4/2025
Field Unit
RVNL/SRINAGAR
(Uttarakhand)
Under RVNL

2 | 2

for Hon'ble NGT (...)
District Magistrate
Rudraprayag

रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited
गुणवत्ता: गति एवं पारदर्शिता
(A Government of India Enterprise)

मुख्य परियोजनाप्रबंधककार्यालय
(ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नईरेललाईन परियोजना)
Office of Chief Project Manager
(Rishikesh-Karanprayag New BG Rail Line Project)
RVNL Office Building, Opp. GSTBhavan, Next to GMVN, Shyampur Bypass,Road, Rishikesh- 249201
Email: rvnlrksh1@gmail.com, Tel: +91-135-2442008

RVNL/RKSH/PK7B(CBEC)/1/2020/CIVIL/RKSH/428 **Date:23.04.2025**

मैघा इंजिनियरिंग इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेड,
एस–2, टेक्नोक्रेट इंडस्ट्रियल एस्टेट, बालानगर,
हैदराबाद–500037, तेलंगाना, भारत
ईमेल: jsrinivaskumar@meilgroup-in

विषय :– जनपद रूद्रप्रयाग के ग्राम जवाड़ी के चोपड़ा गदेरा में उपखनिज/मक डम्प किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– संख्या–18/भू0खनि0वि0/रू0/डम्पिं0जांच/2025–26, दिनांक 11 अप्रैल 2025

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग रूद्रप्रयाग के पत्रांक संख्या–18/भू0खनि0वि0/रू0/डम्पिं0जांच/2025–26, दिनांक 11 अप्रैल 2025 **(प्रतिलिपि संलग्न)** जोकि आपको संदर्भित एवं अधोहस्ताक्षरी को आपके माध्यम से प्रेषित है की मूल प्रति संलग्न करते हुए सूचित करना है कि उपरोक्त विषयक प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए आवश्यकतानुसर अपने स्तर से उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करने की कृपा करें।

23/04/2025

मुख्य परियोजना प्रबंधक
रेल विकास निगम लिमिटेड
ऋषिकेश

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय देहरादून।
3. उपजिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग
4. उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, रूद्रप्रयाग

for Hon'ble NGT (ar...)

District Magistrate
Rudraprayag